अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकःएफ4( )परावि/आ.प्र./वा.जि.यो./2014–15/21 जयपुर, दिनांकः 9-1-2014

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव/विभागाध्यक्ष,
.... विभाग।

विषयः– वार्षिक जिला योजना 2014–15 के निर्माण के सम्बन्ध में।
प्रसंगः– आयोजना विभाग के पत्रांक एफ 10(20)/प्लान/ग्रुप–V/2013 दिनांक 30.12.2013.

योजना आयोग, भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य की वार्षिक योजना 2014–15 का निर्माण कार्य प्रगति पर है। विकेन्द्रीकृत आयोजना के तहत योजना आयोग, भारत सरकार के निर्देशानुसार पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाओं में जिला योजनाओं को समाविष्ट किया जाना आवश्यक है। योजना आयोग के उक्त निर्देशों के परिपेक्ष्य में विगत वित्तीय वर्ष के अनुरूप ही 12वीं पंचवर्षीय जिला योजना के तहत वार्षिक जिला योजना 2014–15 का निर्माण किया जाना है। राज्य की प्रस्तावित वार्षिक योजना 2014–15 के प्रारूप पर जनवरी, 2014 के दौरान योजना आयोग में चर्चा किया जाना सम्भावित है।

आयोजना विभाग के प्रासांगिक पत्र द्वारा सभी विभागों को वार्षिक योजना 2014–15 के लिए सेक्टरवार आयोजना सीमा एवं योजनाओं के निर्माण से संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करवाये जा चुके हैं। जिला योजनाओं में सम्मिलित किये जाने वाले कार्यक्रमो/योजनाओं एवं इनके लिये प्रावधित आयोजना सीमा को इस विभाग द्वारा चिन्हित कर संलग्न किया जा रहा है। उक्तानुसार चिन्हित कार्यक्रम/योजनाओं के लिये उपलब्ध आयोजना राशि को विभागीय स्तर पर जिलेवार आँवटन किया जाना है ताकि तदनुसार ही प्रत्येक जिले के लिये वार्षिक योजना का प्रारूप तैयार कराया जा सके।

वार्षिक जिला योजना 2014–15 हेतु निम्न सूचनाएं उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक हैः–

1. जिला योजनाओं के लिये चिन्हित योजनाओं/कार्यक्रमों की निर्धारित सीलिंग राशि का जिलेवार आँवटन (जिले की अनुसूचित जाति,/जनजाति एवं सामान्य वर्ग की जनसंख्या के अनुपात को दृष्टिगत रखते हुए पृथक–पृथक आँवटन)।

   (उक्त सूचना विगत जिला वार्षिक योजना 2013–14 के लिए संलग्न प्रपत्रों के अनुसार सॉफ्ट एवं हार्डकॉपी में साथ लावें, सुलभ संदर्भ हेतु विभाग स्तर से विगत वर्ष की तैयार की गई सूचना संलग्न है)

2. विगत वार्षिक योजना के तहत जिले को प्राप्त राशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति (आयोजना विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में)
3. सेक्टोरल दृष्टि पत्र (आयोजना विभाग द्वारा निर्धारित बिन्दुओं को समाविष्ट करते हुए सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में)
4. महिलाओं के हितार्थ कार्यो की वार्षिक जिलेवार उपयोजना।

\\10.68.39.69\pr dp 2013\Knew d-planning\Raju Lal Gupta\letter.doc

कृ.पृ.उ.

अतः सेक्टरवार सीलिंग का जिलेवार निर्धारण एवं वांछित सूचनाओं को संकलित किये जाने हेतु पंचायती राज मुख्यालय के मीटिंग हॉल में दिनांक 15.01.2014 से 17.01.2014 तक विभागीय बैठकों का आयोजन किया गया है। इस क्रम में अनुरोध है कि संलग्न कार्यक्रम अनुसार निर्धारित बैठकों में विभाग के जिला योजना निर्माण से संबंधित अधिकारी (कम से कम उप निदेशक स्तर के अधिकारी) को उपरोक्त वांछित सूचनाएं निर्धारित प्रपत्रों में तैयार करवाकर कार्यक्रम अनुसार बैठक में भाग लेने हेतु निर्देशित करावें।

इस सम्बन्ध में शासन संयुक्त सचिव, जिला आयोजना प्रकोष्ठ, पंचायती राज विभाग (दूरभाष संख्या 0141–2385027, 9887928271) एवं उप निदेशक, जिला आयोजना, पंचायती राज विभाग (दूरभाष 0141–2227847) से सम्पर्क किया जा सकता है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(श्रीमत पाण्डे)
प्रमुख शासन सचिव
9/1/2014

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
5. सहायक निदेशक, सांख्यिकी प्रकोष्ठ, पंचायती राज विभाग।
6. आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय को भेजकर लेख है, कि उक्तानुसार आयोजित बैठकों हेतु जल–पान की व्यवस्था करायें।
7. केयर टेकर, मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि बैठक हेतु आवश्यक व्यवस्था करावें।
8. प्रोग्रामर मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया मिनिट्स वेबसाईट पर अपलोड करने की व्यवस्था करावें

शासन सचिव एवं आयुक्त

\\10.68.39.69\pr dp 2013\Knew d-planning\Raju Lal Gupta\letter.doc

बारहवीं पंचवर्षीय जिला योजना के तहत वार्षिक जिला योजना 2014–15 तैयार करने हेतु मीटिंग हॉल, पंचायती राज विभाग में विभिन्न विभागों के साथ आयोजित बैठकों का कार्यक्रमः–

दिनांक	समय	विभाग का नाम
15.01.14	प्रातः 10 से 11 बजे तक	भू–जल विभाग, ग्रामीण विकास (डांग,मगरा,मेवात,क्षे.वि.कार्य., बी.ए.डी.पी., ग्रामीण जनसहभागी, एम.एल.ए. लेड, स्वविवेक, IWMP, NRLM)
	प्रातः 11 से 12 बजे तक	तकनीकी शिक्षा एवं क्रॉफ्ट, जल संसाधन विभाग
	दोपहर 12 से 01 बजे तक	सतत् एवं सर्व शिक्षा अभियान, जनजाति क्षेत्रीय विभाग
	अपराह्न 02 से 03 बजे तक	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पर्यटन विभाग,
	अपराह्न 03 से 04 बजे तक	एन.आर.एच.एम, प्रारम्भिक शिक्षा
	अपराह्न 04 से 06 बजे तक	कृषि विभाग,
16.01.14	प्रातः 10 से 11 बजे तक	निशुल्क जांच योजना
	प्रातः 11 से 12 बजे तक	निशुल्क दवाई वितरण योजना
	दोपहर 12 से 01 बजे तक	जलग्रहण एवं भू–संरक्षण विभाग
	अपराह्न 02 से 03 बजे तक	आर.एम.एस.सी., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
	अपराह्न 03 से 04 बजे तक	राजस्थान आजीविका मिशन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
	अपराह्न 04 से 05 बजे तक	ग्रामीण विकास (SGSY, IAY, MNEGRA)
	अपराह्न 05 से 06 बजे तक	पंचायती राज विभाग (स्वच्छता कार्यक्रम सहित), मिड डे मील, सहकारिता विभाग
17.01.14	प्रातः 10 से 11 बजे तक	समेकित बाल विकास सेवा विभाग, महिला अधिकारिकता विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
	प्रातः 11 से 01 बजे तक	एम.पावर, उद्यान विभाग
	अपराह्न 02 से 03 बजे तक	माध्यमिक शिक्षा विभाग, वन विभाग, स्वायत्त शासन विभाग
	अपराह्न 03 से 05 बजे तक	सार्वजनिक निर्माण विभाग, मत्स्य विभाग एवं पशुपालन विभाग
	अपराह्न 05 से 06 बजे तक	परिवार कल्याण विभाग, उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग